संख्या–715/86–2017–57(स)/2017

प्रेषक,

राज प्रताप सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, *लखनऊ दिनॉकः 22 अप्रैल, 2017*

विषयः–**प्रदेश में नदी तल में उपलब्ध उप खनिज यथा बालू/मोरम आदि के रिक्त क्षेत्रों पर उ0प्र0 उप खनिज (परिहार) नियमावली–1963 के प्राविधानो के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से अल्प अवधि के खनन अनुज्ञा–पत्र (माइनिंग परमिट) स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि नदी तल में उपलब्ध उपखनिज के क्षेत्रों को नियमावली–1963 के अध्याय–2 के नियम–9क के अनुसार खनन पट्टे पर स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित की गयी थी। नियम–9क के विरुद्ध मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या– 1498/2015 गुलाब चन्द्र मिश्र बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनॉक 03.04.2015 को आदेश पारित कर नियम–9क को ''बैड इन लॉ'' घोषित कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के विरुद्ध मा0 सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या–14578/2015 योजित की गयी। उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्रदेश के रिक्त क्षेत्रों के लिए ऑफर आमंत्रित किये गये थे तथा अधिकतम ऑफर देने वाले आवेदको की सूची मा0 सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु उक्त के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय नही हो सका तथा प्रकरण पुनः सुनवाई हेतु मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को प्रतिप्रेषित किया गया है जो वर्तमान में मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। इसके साथ ही पूर्व से कार्यरत खनन पट्टे की अवधि शनैः–शनैः समाप्त हो गये है जिनका नवीनीकरण नही हो पा रहा है। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित जनहित याचिका संख्या–28916/2016 में पारित आदेश दिनॉक 20.06.2016 के द्वारा दिनॉक 31.05.2012 के बाद किये गये खनन पट्टो का खनन कार्य प्रतिबन्धित कर दिया गया है। इसके कारण प्रदेश में न तो नये खनन पट्टे स्वीकृत हो पाये है और न ही पूर्व स्वीकृत खनन पट्टों में खनन कार्य हो रहा है, जिसके फलस्वरुप प्रदेश में वैधानिक रुप से बालू/मोरम का खनन कार्य लगभग पूर्ण रुप से बन्द हो गया है। खनन कार्य बन्द

हो जाने के फलस्वरुप निर्माण कार्य हेतु आवश्यक सामग्री बालू/मोरम का संकट उत्पन्न हो गया है तथा बालू/मोरम की कीमतें भी काफी बढ़ गयी है जिससे एक तरफ जहॉ निजी निर्माण कार्य लगभग बन्द हो गया है वही दूसरी तरफ शासकीय निर्माण कार्यो पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा है।

बाजार में खनिजो के अभाव एवं इसकी आपूर्ति सुनिश्चित करानें के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्डपीठ में योजित जनहित याचिका संख्या–6827/2017 अमिताभ सिंह बनाम् उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 18.04.2017 के कार्यकारी अंश निम्नवत हैः–

"We may record our anxiety that such directions are being given in the peculiar facts of the case that not only is the construction activity has been adversely affected because of acute paucity of minor minerals in open market, it has also created a situation where these are being sold, where ever available, at exorbitant prices and, further, that if the mining activity is not initiated immediately in the State of Uttar Pradesh the natural resources to this State may get lost because of ensuing monsoon season which we all know many times leads to heavy floods in all major rivers including Ganga, Yamuna and Betwa. The State must protect its resources and take them to the best possible use.''

"The State Government itself has taken note of the prevailing situation where, because of paucity of legally available minor minerals being sold in the open market, the entire construction activities, both by the government as well as private agencies have to come to a halt, which can never be in the interest of State."

"In our opinion, the State, must come out with some concrete proposal in a time bound manner to ensure that legal and valid permits/licences/leases are issued in the matter of excavation of minor minerals."

"We may record that on a simple reading of Rules 68 of Minor Mineral Concession Rules 1963, it would be clear that the State Government has been given overriding power to issue such orders as may be necessary in the interest of Mineral Development in the State. The power so given to the State Government is all pervasive and the State must respond to the situation keeping in mind the Provisions of Rules 68. It will not be correct to suggest that it is only in a particular case that State can resort to its power under Section 68. Such power cannot be confined to particular cases."

उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के नियम–68 में निम्नवत प्राविधान हैः–

नियम–68 विशेष मामलो में नियमों को शिथिल किया जाना– ''राज्य सरकार किसी भी मामले में यदि उसकी राय हो कि खनिज विकास के हित में लिखित आज्ञा द्वारा और उन कारणो से, जो अभिलिखित किये जायेगें ऐसा करना आवश्यक है इस नियमावली में निर्धारित शर्तो और प्रतिबन्धो से भिन्न शर्तो और प्रतिबन्धों पर किसी खनिज को लब्ध करने के लिए किसी खनन पट्टे को देने या किसी खान का कार्य करने का प्राधिकार दे सकती है।''

अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दीर्घकालीन अवधि के लिये खनन पट्टों पर क्षेत्रों के व्यवस्थापन में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुये अन्तिरम व्यवस्था के रूप में तथा मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनॉक 18.04.2017 के अनुक्रम में प्रदेश में बालू/मोरम की अभूतपूर्व कमी को दृष्टिगत रखते हुए **खनिज विकास एवं जनहित** में नियम–68 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्न शर्तो के अधीन नदी तल में उपलब्ध बालू/मोरम के ऐसे क्षेत्र, जिन पर मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की रोक नही लगी हो, को अल्पअवधि (अधिकतम 06 माह) के लिए ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा–पत्र (माइनिंग परमिट) सक्षम स्तर अर्थात जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत करनें का निर्णय लिया गया है कि–

2. खनन अनुज्ञा पत्र उन्ही क्षेत्रों पर स्वीकृत किया जायेगा जिनमें मा0 न्यायालय का कोई स्थगन आदेश न हो। खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 06 माह की होगी जिसमें मानसून सत्र (दिनॉक 01.07.2017 से दिनॉक 30.09.2017) में खनन नही किया जायेगा। बाधित अवधि के कारण 6 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नही होगा।

3. नदी तल में उपलब्ध उप खनिजों के रिक्त क्षेत्रों, खनिज की उपलब्धता, परिवहन मार्ग की स्थिति एवं क्षेत्र में पर्यावरण अनुकूल सुरक्षित खनन को दृष्टिगत रखते हुये खण्ड का निर्धारण किया जायेगा।

4. क्षेत्र में खनन योग्य भण्डार का निर्धारण जिलाधिकारी के द्वारा गठित समिति, जिसमें जनपद में तैनात खान अधिकारी/खान निरीक्षक, सदस्य/संयोजक होंगे, के द्वारा किया जायेगा।

5. जारी किये जाने वाले विज्ञप्ति में क्षेत्र में उपलब्ध खनन योग्य भण्डार का उल्लेख किया जायेगा।

6. ई–टेण्डर में निविदा प्रतिघन मी0 के लिये दी जायेगी जो कि उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली, 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिये निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी।

7. क्षेत्र की स्थानीय स्थिति तथा प्राविधिक समस्याओं के दृष्टिगत अतिरिक्त शर्तो का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार किया जा सकेंगा।

8. उपलब्ध/रिक्त उप खनिज क्षेत्रों को विज्ञापित किये जाने के पूर्व संबंधित जिलाधिकारी द्वारा वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। वन विभाग की अनापत्ति प्राप्त क्षेत्रों के निर्धारित खण्डों को ई–निविदा प्रणाली से परिहार पर देने के लिये संलग्न प्रारूप–1 (संलग्न) में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। जिलाधिकारी या समिति ई–निविदाओं के प्रस्तुत किये जाने के अन्तिम दिनांक से कम से कम 07 कार्य दिवस पूर्व किसी ऐसे दो दैनिक हिन्दी समाचार पत्रों में, जिसका उस जिले में व्यापक परिचालन हो, जिसमें वह क्षेत्र स्थित हो, सूचना प्रकाशित कराकर ई–निविदा आमंत्रित करेगें तथा उसे ई–निविदा पेार्टल " etenders.up.nic.in" पर अपलोड कराया जायेगा। सूचना की प्रतिलिपियॉ सम्बन्धित जिले के वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जायेगा, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, को प्रति प्रेषित की जायेगी तथा जिलाधिकारी कार्यालय के सूचना पट पर और उस क्षेत्र के समीप किसी सुविधाजनक स्थान पर चिपकायी जायेगी।

9. यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया हैं। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नाकिंत कार्यवाही करनी होगी :–

(क) ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

(घ) टेण्डर से संबंधित अधिकारियों, टेण्डर समिति के सदस्य भी डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करेगें। इसके अतिरिक्त संबंधित अधिकारी एवं टेण्डर समिति के सदस्य यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन से निःशुल्क प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

(ड) ई–टेण्डरिंग की प्रक्रिया हेतु प्रत्येक जनपद में कम्प्यूटर में ब्राडबैण्ड कनेक्टिविटी (>512kbps) तथा वांछनीय एन्टी वायरस साफ्टवेयर स्थापित कराया जाय।

10. जिलाधिकारी द्वारा ई–निविदा कार्यवाही को संचालित करने के लिये निम्न कमेटी का गठन किया जायेगाः–

क जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी जो अपर जिलाधिकारी के स्तर के नीचे का न हो –– अध्यक्ष।

ख प्रभागीय वनाधिकारी अथवा उसके द्वारा नामित वरिष्ठ अधिकारी–– सदस्य।

ग जनपद में तैनात खान अधिकारी/खान निरीक्षक––– सदस्य/सचिव।

11. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारुप–2 (संलग्न) पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।

ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।

ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0।

घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–

उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
क्षेत्रफल (एकड़ में) ।
विज्ञाप्ति में दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा।

ड. खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।

च. बिन्दु संख्या 4 में उल्लिखित खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची 1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैक ड्राफ्ट संबन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में, जहॉ वह खनन क्षेत्र स्थित है, अग्रिम के रुप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिर्वाय होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

छ. खनन देय बकाया न होने के संबंध में शपथ पत्र।

ज. उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

झ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

12. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

13. बिन्दु संख्या 11 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–11 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व निर्धारित अवधि के अन्तर्गत जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

14. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र (लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

15. उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

16. सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक–14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।

17. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से कम होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित खनिज निकासी की मात्रा तक ही अनुज्ञा पत्र अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु प्रभावी होगी। उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

18. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र–एम0एम0–10 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

19. ई–निविदा का प्रकाशन दिनांक 02 मई 2017 अथवा उसके पूर्व, ई–निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि 07 कार्यदिवस पश्चात् हो जिसे 12 मई, 2017 अथवा उसके

पूर्व निर्धारित किया जाय तथा सफल निविदाकर्ता को ''लेटर आफ इन्टेंट'' 15 मई, 2017 अथवा उसके पूर्व तक निर्गत किया जाये।

20. अनुज्ञा पत्र धारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

21. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।

संलग्नकः यथोपरि।

भवदीय

(राज प्रताप सिंह)
अपर मुख्य सचिव

पत्र संख्या– /86–2017–57(स)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.सचिव, मा0 मुख्य मंत्री, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
3. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
4. प्रभारी अधिकारी, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित जिले का नाम)
5. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
6. निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
7. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार)
विशेष सचिव।

कार्यालय जिलाधिकारी.....।
(खनन अनुभाग)
ई–निविदा आमन्त्रण हेतु सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद.....में नदी तल में उपलब्ध निम्न विवरण के अनुसार बालू/मोरम के खनन क्षेत्रों को शासनादेश संख्या–715/86–2017–57(स)/2017 दिनांक–22.04.2017 में दिये गये निर्देशानुसार 6 माह की अल्प अवधि के लिये ई–टेण्डरिंग प्रणाली के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र पर स्वीकृत किये जाने हेतु उपलब्ध घोषित किया जाता है तथा दिनांक–.....के .....बजे तक क्षेत्रों के लिये ई–निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्षेत्र का विवरण :–

क0 सं0	तहसील	ग्राम	गाटा संख्या/खण्ड संख्या	क्षेत्रफल (एकड़ में)	सीमाये				खनिज का नाम	खनन योग्य अनुमानित खनिज का भण्डार (घन मी0 में)
					उत्तर	दक्षिण	पूर्व	पश्चिम		

2. खनन अनुज्ञा पत्र की अवधि 06 माह होगी जिसमें मानसून सत्र (दिनॉक 01.07.2017 से 30.09.2017) में खनन नही किया जायेगा। बाधित अवधि के कारण 6 माह की अधिकतम अवधि में कोई विस्तार भी अनुमन्य नही होगा।

3. कोई व्यक्ति/फर्म/निकाय जो भारतीय हो, जिलाधिकारी को सम्बोधित ई–निविदा संलग्न प्रारुप–2 पर प्रस्तुत कर सकता है, जिसमें निम्नलिखित बाते होंगी :–

क. विज्ञप्ति संख्या व दिनांक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो।
ख. विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक।
ग. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता (स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0।
घ. उस क्षेत्र और खनिज का विवरण जिसके लिये उसने निविदा प्रस्तुत की है। जिसमें निम्न हो–
उपखनिज का नाम–
तहसील का नाम–
खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम–
गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या–
क्षेत्रफल (एकड़ में) ।
विज्ञाप्ति में दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा।

ड. निविदाकार का नाम, पिता का नाम, पता(स्थायी और वर्तमान) ई–मेल एवं मोबाईल नं0। (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आई डी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।

च. खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जाने वाली दर, जो उस खनिज के लिये नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट रायल्टी की दर से कम नही होगी।

छ. खनन योग्य भण्डार की मात्रा (घनमीटर) को नियमावली 1963 की अनुसूची–1 में उपखनिज की प्रचलित रायल्टी दर से गुणा कर जो धनराशि आयेगी, उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का बैक ड्राफ्ट संबन्धित जिलाधिकारी के पक्ष में जहॉ वह खनन क्षेत्र स्थित है का अग्रिम के रुप में दी जायेगी। बैंक ड्राफ्ट की मूल प्रति ई–निविदा खोले जाने के पूर्व निर्धारित तिथि तक उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक क्षेत्र की ई–निविदा हेतु पृथक–पृथक बैंक ड्राफ्ट जमा किया जाना अनिर्वाय होगा। जिस निविदाकर्ता का बैंक ड्राफ्ट निर्धारित तिथि तक जमा नही होगा उसकी ई–निविदा नही खोली जायेगी एवं निरस्त समझी जायेगी।

ज. खनन देय बकाया न होने के संबंध में शपथ पत्र।

च. उस जिले के जिलाधिकारी, जहॉ वह स्थायी रूप से निवास करता है, से जारी चरित्र प्रमाण पत्र।

छ. पैन कार्ड एवं फोटो युक्त पहचान पत्र।

4. ई–निविदा आमंत्रण सूचना के प्रकाशन की तिथि से 07 कार्य दिवसों के अन्दर अर्थात दिनांक–.....तक ई–टेण्डर पोर्टल http://etender.up.nic.in पर निविदाकार के द्वारा अपनी ई–निविदा अपलोड की जायेगी।

5 यू0पी0 इलेक्ट्रॉनिक्स कार्पोरेशन लि0 लखनऊ को प्रदेश में भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में ई–टेण्डरिंग लागू किये जाने हेतु नोडल संस्था नामित किया गया है। निविदाकार को ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही करनी होगीः–

(क) ई–टेन्डरिंग प्रक्रिया में प्रतिभाग करने वाले विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा किसी भी सर्टिफाइंग एजेन्सी से डिजिटल सिगनेचर प्राप्त करना होगा।

(ख) ई–टेन्डरिंग पोर्टल पर विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स द्वारा अपनी कम्पनी/फर्म का रजिस्ट्रेशन यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से कराया जायेगा।

(ग) विडर्स/कन्ट्रैक्टर्स/वेन्डर्स ई–टेण्डर पोर्टल पर प्रशिक्षण यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कार्पोरेशन लिमिटेड से निःशुल्क प्राप्त कर सकते है।

6 निविदाकर द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन ई–टेण्डरिंग पोर्टल पर करा लेने तथा डिजिटल सिग्नेचर प्राप्त करने के उपरान्त अपनी निविदा ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करने हेतु निम्नांकित कार्यवाही की जानी होगीः–

i. सर्वप्रथम निविदाकार द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल पर लॉगिंग आई0डी0 (Login ID) एवं पासवर्ड (Password) के द्वारा ई–टेण्डर पोर्टल में प्रवेश किया जायेगा।

ii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का सत्यापन (Verification) ई–टेण्डर पोर्टल पर किया जाना होगा।

iii. निविदाकार द्वारा सर्च एक्टिव टेण्डर (Search Active Tender) पर क्लिक कर अपनी रूचि की निविदा का चयन कर उक्त निविदा पर प्रतिभाग (Paricipate) करने हेतु क्लिक करना होगा।

iv. निविदाकार द्वारा कम्प्यूटर स्क्रीन पर ही निविदा संबंधित सभी जानकारी को सीधे देखा जा सकता है अथवा उक्त निविदा को डाउनलोड कर उसके प्रिन्ट आउट द्वारा विवरण को पढ़ा जा सकता है।

v. निविदाकार द्वारा निविदा के समुचित अध्ययन किये जाने के उपरान्त अपनी निविदा का ई–टेण्डर पर अपलोड करने के पूर्व प्रस्तर 3 में दिये गये विवरण के अनुसार विभिन्न अभिलेखों, दस्तावेजों की स्कैण्ड कापी कर पी0डी0एफ0 फाईल बनायी जानी होगी।

vi. ई–टेण्डर डाक्यूमेंटस की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी वांछित दस्तावेजों की पी0डी0एफ0 फाईल तैयार हो जाने के पश्चात निविदाकार द्वारा ''पे ऑफ लाईन'' (Pay Offline) विकल्प पर क्लिक करने पर एग्रीमेन्ट (Agreement) आईकन के कम्प्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होने पर निविदाकार द्वारा आई एग्री–सबमिट (I Agree Submit) पर क्लिक करना होगा।

vii. तत्पश्चात निविदाकार द्वारा अग्रिम धनराशि से संबंधित कालम में बैंक ड्राफ्ट की धनराशि, बैंक ड्राफ्ट का नं0, बैंक का नाम इत्यादि विवरण भरना होगा। भुगतान के विवरण की प्रविष्टियों भरने के बाद उसको Save कर लिया जायेगा।

viii. निविदाकार द्वारा अपनी निविदा को अपलोड करने हेतु कम्प्यूटर क्लिक करना होगा जिससे कि अग्रिम धनराशि को टेण्डर के साथ जमा किये जाने से संबंधित कार्य पूर्ण माने जायेंगे।

ix. यदि निविदाकार को ऐसा प्रतीत होता है कि उनके द्वारा सबमिट की गई वित्तीय बिड में कोई त्रुटि है अथवा उनके द्वारा पूर्व में जमा की गई निविदा/बिडस में संशोधन करना वांछनीय है, तो माई बिड्स (My Bids) आईकन में क्लिक कर पुनः ई–निविदा पूर्व प्रक्रिया को अपनाते हुए रि–बिड सबमिशन (Rebid Submission) पर क्लिक कर पुनः सबमिट (Submit) कर सकते हैं। निविदाकार द्वारा यह कार्य टेण्डर जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि और समय से पूर्व किया जा सकता है। अन्तिम बार प्रस्तुत की गई निविदा (Last Submit Bid) ही ई–टेण्डर पोर्टल 'पर अनुमन्य' होगी। पूर्व में प्रस्तुत की गई बिड्स अनुमन्य नहीं होगी।

7. विज्ञप्ति के अनुसार सात कार्य दिवसों में प्राप्त निविदाओं को अगले कार्य दिवस में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति के सदस्यों के द्वारा खोला जायेगा।

8. बिन्दु संख्या–3 में उल्लिखित वांछित अभिलेखों तथा ड्राफ्ट की स्कैन प्रति ई–टेण्डर के साथ अपलोड किया जाना होगा। यदि निविदाकार द्वारा बिन्दु संख्या–3 में वांछित अभिलेख/बैंक ड्राफ्ट की प्रति ई–निविदा के साथ अपलोड नही की जाती है तो उसकी ई–निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी। अपलोड किये जाने वाले अभिलेखों की मूल प्रति/प्रमाणित प्रति तथा ड्राफ्ट की मूल प्रति निविदा खोले जाने से पूर्व दिनांक.....के .....बजे के पूर्व जमा करना होगा। बैंक ड्राफ्ट के पीछे विज्ञप्ति संख्या व दिनांक, क्षेत्र का क्रमांक अंकित करना होगा।

9. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली **सर्वोच्च दर** के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा। उच्चतम निविदा प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य द्वारा प्रस्तुत अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

10. जिलाधिकारी को कोई कारण बताऐ बिना समस्त निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार आरक्षित रहेगा।

11. ई–टेण्डर साईट का उपयोग करने के लिए Pentium-IV अथवा उच्च विशिष्टियों युक्त कम्प्यूटर तथा ब्रॉड बैंण्ड इण्टरनेट कनेक्शन की आवश्यकता होगी। इसके लिए इण्टरनेट केन्द्र की सेवायें ली जा सकती है।

12. जिला स्तर पर ई–टेण्डरिंग से सम्बन्धित टेण्डर्स अपलोड किये जाने, टेण्डर्स खोले जाने इत्यादि कार्यों हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (DIO-NIC) से सहायता ली जा सकती है तथा अन्य किसी जानकारी/स्पष्टीकरण/प्रशिक्षण हेतु यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 10, अशोक मार्ग, लखनऊ से भी सम्पर्क किया जा सकता है।

13. खनन क्षेत्र अथवा अन्य किसी जानकारी के लिए संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय के खनन अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

14. क्षेत्र से निकासी की जाने वाली खनिज के प्रति घन मी0 के लिए दी जाने वाली सर्वोच्च दर के निविदाकर्ता का चयन उस क्षेत्र के खनन अनुज्ञा पत्र के लिए किया जायेगा। सफल निविदाकर्ता का चयन होने के उपरान्त समिति के संस्तुति के आधार पर उसे जिलाधिकारी द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र हेतु सहमति पत्र(लेटर ऑफ इन्टेंट) जारी किया जायेगा।

15. उच्चतम निविदा के निविदाकर्ता को छोड़कर अन्य आवेदकों द्वारा प्रस्तुत बैंक ड्राफ्ट को उसे वापस कर दिया जायेगा।

16. सफल निविदाकार खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु इस आशय का पत्र प्राप्त होने के उपरान्त वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक–14.09. 2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। सक्षम अधिकारी के समक्ष पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय खनन योग्य आंकलित मात्रा हेतु माइनिंग प्लान/स्कीम बनाते हुये आवेदन प्रस्तुत किया जायेगा।
17. यदि पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में दी गयी खनिज निकासी की मात्रा क्षेत्र के लिये आंकलित खनन योग्य भण्डार से कम होती है, तब पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र में अंकित खनिज निकासी की मात्रा तक ही अनुज्ञा पत्र अवधि के लिए क्षेत्र से खनिज की निकासी हेतु प्रभावी होगी। उस मात्रा के आधार पर ई–निविदा में दी गई दर को गुणा कर वास्तविक देय धनराशि निकाली जायेगी। अग्रिम के रूप में जमा 75 प्रतिशत की धनराशि को समायोजित करते हुये शेष धनराशि अनुज्ञा–पत्र निर्गत करने से पूर्व बैंक ड्राफ्ट/कोषागार चालान द्वारा जमा करना अनिवार्य होगा।

18. पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त होने एवं सम्पूर्ण देय धनराशि जमा करने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र–एम0एम0–10 पर खनन अनुज्ञा पत्र निर्गत किया जायेगा। तत्पश्चात ही खनन कार्य प्रारम्भ करेगा।

19. अनुज्ञा पत्र धारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धो के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।

20. मा0 न्यायालय एवं मा0 राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय–समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होगें।

अन्य नियम एवं शर्तेः–

जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति के कारण जिलाधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाय।

(जिलाधिकारी)
जिले का नाम

पत्र संख्या– / तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
3. प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय (संबंधित जिले का नाम), भूतत्व एवं खनिकर्म, उ0प्र0।
4. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारर्पोरेशन लि0, अशोक मार्ग, लखनऊ।
5. निदेशक, सूचना, उ0प्र0।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी एनआईसी, लखनऊ।

(जिलाधिकारी)
जिले का नाम

प्रारूप–2

खनन अनुज्ञा–पत्र हेतु ई–निविदा प्रपत्र

महत्वपूर्ण–किसी प्रकार के कंटिग/ओवरराइटिंग पर ई–निविदा निरस्त की जा सकती है।

1.	विज्ञप्ति संख्या व दिनॉक जिसके द्वारा क्षेत्र विज्ञापित किया गया हो	
2.	विज्ञप्ति में क्षेत्र का क्रमांक	
3.	निविदाकार का नाम	
4.	निविदाकार के पिता का नाम	
5.	स्थायी पता	
6.	वर्तमान पता	
7.	मोबाईल नम्बर	
8.	ई–मेल आईडी	
9.	पैन कार्ड नम्बर	पैन कार्ड की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
10.	पता का प्रमाण पत्र (पता के प्रमाण के रूप में निम्न में से कोई एक मान्य होगा–वोटर आईडी/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली बिल/बैंक पासबुक अथवा राशन कार्ड। फर्म/कम्पनी/निकाय के लिये उनका पंजीकरण का विवरण)।	पहचान पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
11.	जिस क्षेत्र की निविदा दी जानी है, उसका विवरण **क.** उपखनिज का नाम– **ख.** जनपद का नाम– **ग.** तहसील का नाम– **घ.** खनन क्षेत्र का नाम/ग्राम– **ड़.** गाटा संख्या/खण्ड संख्या/जोन संख्या– **च.** क्षेत्रफल(एकड़ में)–	
12.	निविदाकार द्वारा कोई खनन देय बकाया न होने के संबंध में घोषणा पत्र/शपथ पत्र	घोषणा पत्र/शपथ पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी
13.	जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र	चरित्र प्रमाण पत्र की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।
14.	खनिज के प्रति घन मी0 के लिये दी जा रही दर जो	रू0–....प्रति घन मी0 (अंको में)

	नियमावली 1963 के प्रथम अनुसूची में उस खनिज के लिये निर्धारित रायल्टी की दर से कम नही होगी।	रू0–.....प्रति घन मी0 (शब्दो में)
15.	विज्ञप्ति में क्षेत्र के लिए दी गई खनन योग्य भण्डार की मात्रा	––––– घनमीटर
16.	क्षेत्र में खनन योग्य भण्डार की मात्रा को नियमावली के अनुसूची-I में उपखनिज के लिए प्रचलित रायल्टी दर से गुणा करने पर जो धनराशि आती है उसका 75 प्रतिशत के समतुल्य अग्रिम धनराशि के बैंक ड्राफ का विवरण। **<u>उदाहरण</u>**–यदि भण्डार की मात्रा 10,000 घनमीटर है तथा रायल्टी दर 100 रुपये प्रति घनमीटर है तो अग्रिम धनराशि 10,000 X 100 X 0.75 अर्थात रुपया 7,50,000 (सात लाख पचास हजार) होगी।	बैंक ड्राफ्ट की धनराशि ––––– बैंक का नाम व शाखा ––––– ड्राफ्ट का नम्बर ––––– बैंक ड्राफ्ट की स्कैन्ड कापी ई–टेण्डर पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।

उपरोक्त उल्लिखित विवरण मेरी जानकारी में सही व सत्य है। कोई सूचना छिपायी नही गयी है तथा मैं निविदा आमंत्रण प्रपत्र की समस्त शर्तो को स्वीकार करता हूँ।

दिनांकः–

स्थानः–

निविदाकार के हस्ताक्षर